कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला भिण्ड म0प्र0

क्रमांक./ स्था/प्रा0शि0 नियो0/ 2026/ 6672 भिण्ड, दिनांक 31.08.2026

//संशोधित आदेश//

मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 एवं समय–समय पर संशोधित भर्ती नियम के नियम 5 (4) (क) के अनुसार कर्मचारी चयन मंडल मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा प्राथमिक शिक्षक पद हेतु आयोजित शिक्षक चयन परीक्षा 2025 के परिणाम के आधार पर जारी चयन सूची के निम्नांकित अभ्यर्थियों को मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक (विशेष शिक्षा) के पद पर उनके नाम के समक्ष अंकित विद्यालय मे निम्नानुसार पदस्थ किया जाता है ।

SN	APPLICATION NUMBER	CONSOLIDATED RANK	NAME & F/H NAME	ADDRESS	ORIGINAL CATEGORY	SELECTED CATEGORY	ALLOTTED SCHOOL	DISTRICT
1	3408250676801	211	ANAND SINGH F/H Name- SWATANTRA SINGH	201 SONARI BHALUANI BARHAJ DEORIA	UR	UR/X/OP	DISE-23030419808 Bhind, GHSS GIRLS, MLB, BHIND(6 to 12)	Bhind
2	3402250693207	378	SHIVAM YADAV F/H Name- AVLINDRA KUMAR	21/219 AGAR ROAD CHUNGI ETAH ETAH ETAH	UR	UR/X/OP	DISE-23030402905 Bhind, GHSS BHAVANPURA(9 to 12)	Bhind
3	3407250726499	4050	PANKAJ KUMAR DHAKED F/H Name- VINOD KUMAR DHAKED	79 79, VPO-MUHARI WEIR WEIR BHARATPUR	UR	UR/X/OP	DISE-23030604406 Ater, GHSS JAWASA(9 to 12)	Bhind
4	3402250635755	5859	SANDEEP SINGH F/H Name- MANGI LAL GURJAR	64 LAXMI PALACE PHASE 2 DEORI ROAD AGRA AGRA AGRA	UR	UR/X/OP	DISE-23030719006 Gohad, GHSS SARVA(1 to 12)	Bhind
5	3412250716052	6463	RAJEEV KUMAR F/H Name- RAMJI LAL	55 VILLAGE AND POST ACHALPURA ACHALPURA MIHONA BHD	OBC	OBC/X/OP	DISE-23030200219 Raun, GHSS RAU (EXCELENCE)(1 to 12)	Bhind
6	3407250675583	6589	KAMALKISHOR SARSWAT F/H Name- RAMNIWAS	73 BARAI BARAI BASERI DHOLPUR	UR	UR/X/OP	DISE-23030707106 Gohad, GHSS KHANETA(1 to	Bhind

(signature)

			SHARMA				12)	
7	3412250737469	7324	PRINCE SHARMA F/H Name- CHANDRA SHEKHAR SHARMA	AFZALPUR BARI BARI BARI DHOLPUR	UR	UR/X/OP	DISE-23030312435 Mehgaon, GHSS GORMI(6 to 12)	Bhind
8	3402250678937	8053	RAJESH KUMAR GOSWAMI F/H Name- MUNSHEE PURI	210 MATH KHIDORA MATH KHIDORA BASERI DHOLPUR	UR	UR/X/OP	DISE-23030410613 Bhind, GHSS AKODA(9 to 12)	Bhind
9	3402250675971	8371	ANKIT VERMA F/H Name- HARI BABU VERMA	1 HOSPITAL ROAD BASAI NAWAB BASAI NAWAB SAIPAU DHOLPUR	UR	UR/X/OP	DISE-23030414602 Bhind, GHSS NUNHATA (HAWALDAR SINGH KA PURA)(9 to 12)	Bhind
10	3402250657832	9230	DALCHAND F/H Name- BED PRAKASH	0 SURAJPURA SURAJPURA FATEHABAD AGRA	UR	UR/X/OP	DISE-23030721168 Gohad, GHSS GIRLS, GOHAD(6 to 12)	Bhind
11	3409250674047	10261	JITENDRA SINGH F/H Name- GEETA RAM	GURJAR COLONY GT ROAD DHOLPUR DHOLPUR DHOLPUR DHOLPUR DHOLPUR	UR	UR/X/OP	DISE-23030721178 Gohad, GHSS MODEL GOHAD(6 to 12)	Bhind
12	3402250712701	10262	MANISH KUMAR SHARMA F/H Name- BHAGWAN SINGH	OUT SIDE RAILWAY GATE JAGNER ROAD ROOPWAS TEH ROOPWAS BHARATPUR	UR	UR/X/OP	DISE-23030718549 Gohad, GHSS BOYS, MAU(9 to 12)	Bhind
13	3402250648893	11100	PRAVEEN KUMAR F/H Name- RAKSHPAL	VILLAGE RASEMAR POST NANAMAU MAINPURI	UR	UR/X/OP	DISE-23030406215 Bhind, GHSS UMARI(1 to 12)	Bhind

			SINGH	KURAWALI MAINPURI				
14	3402250627016	11292	BHUPENDRA SINGH TYAGI F/H Name- RAM KHILADI TYAGI	VILL AND POST TEHARI TEH SAIPAU DHOLPUR DHOLPUR DHOLPUR	UR	UR/X/OP	DISE-23030711104 Gohad, GHSS SHERPUR(1 to 12)	Bhind
15	3410250692518	71288	VIKASH PATEL F/H Name- VINOD PATEL	WARD NO 10 VILLAGE SUNDARA POST SUNDARA DEVENDRAN AGAR PAN	OBC	OBC/X/OP	DISE-23030718550 Gohad, GHSS GIRLS, MAU(1 to 12)	Bhind
16	3402250733507	76270	MANJESH KUMARI F/H Name- GOPAL SINGH BHADORIYA	6/141 GALI NO 3 NEAR GOVT HIGH SCHOOL ARYA NAGAR BHIND BHD	EWS	EWS/X/F	DISE-23030316473 Mehgaon, GHS MEHGAON(6 to 10)	Bhind
17	3408250709312	84338	RAMANUJ PATEL F/H Name- CHANDRA BHAN PATEL	1 GHARBHARA POST SHAHPUR HANUMANA REW	OBC	GF/OBC/X/OP	DISE-23030200127 Raun, GHSS GIRLS MIHONA(1 to 12)	Bhind

2/ उपरोक्त नियुक्ति वेतन मान पी.बी.–2 (छटवां वेतनमान 5200–20200 +2400 ग्रेड पे) का मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम–2017 के अंतर्गत मैट्रिक्स में लेवल–6 में तत्स्थानी वेतनमान 25300–80500 के न्यूनतम वेतन रुपये 25300/– + अन्य भत्ते जो शासन द्वारा समय–समय पर देय हैं, के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्रमांक–सी–3–13/2019/3/एक दिनांक 12.12.2019 के बिंदु क्र. (ब) के अनुक्रम में राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम, 2018 के संशोधित नियम 13 (राजपत्र दिनांक 24 दिसंबर 2019) अनुसार वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत, तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि (3 वर्ष) सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर उक्त वेतनमान में न्यूनतम वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा।

3/ यह नियुक्ति अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा पर की जाती है। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने पर राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 के संशोधित नियम 13 के तहत कार्यवाही की जा सकेगी। परिवीक्षा अवधि में स्थानांतरण से संबंधित किसी भी आवेदन पर विचार नही किया जायेगा। परिवीक्षा अवधि में अनाधिकृत अनुपस्थिति की स्थिति मे सेवाये समाप्त की जा सकेगी।

4/ संबंधित चयनित अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश शासन, वित्तविभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–5/एक/05/नि/चार दिनांक 02.04.2005 के अनुसार दिनांक 01.01.2005 के पश्चात मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर नियुक्त अधिकारियों/ कर्मचारियों

को मध्यप्रदेश शासन वित्तविभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ–9/3/03/नियम/चार दिनांक 13.04.2005 के प्रावधान अनुसार परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू होगी।

5/ संबंधित अभ्यर्थी को दिनांक 7 सितम्बर 2026 तक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपस्थिति देनी होगी। प्राथमिक शिक्षक पद पर उपस्थिति के समय संबंधित अभ्यर्थी को निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगें। समस्त अभ्यर्थी आवश्यक समस्त अभिलेखों की मूल प्रति एवं उसकी 3 स्वप्रमाणित प्रतियों के सेट साथ मे लायेंगें। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अभिलेखों का सत्यापन मूल दस्तावेज से किया जायेगा। दस्तावेजो की सूची निम्नानुसार हैः–

I. नियुक्ति आदेश
II. पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ई–मेलएड्रेस
III. जाति प्रमाण पत्र (सक्षमस्तर से जारी किया हुआ नवीनतम अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाणपत्र)
IV. आर्थिक रूप से कमजोर प्रवर्ग (E.W.S.) के अभ्यर्थियों लिए ईडब्ल्यू एस प्रमाणपत्र
V. मूल निवासी प्रमाण पत्र
VI. स्थायी निःशक्तता/दिव्यांगता का प्रमाणपत्र–न्यूनतम 40 प्रतिशत स्थायी दिव्यांगता का मेडिकल बोर्ड का वैध प्रमाणपत्र (जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति दिव्यांग श्रेणी में हुई है)
VII. अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाणपत्र (जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति अतिथि शिक्षक के अनुभव प्रमाणपत्र के आधार पर हुई है)
VIII. शासकीय सेवक की स्थिति में विभागीय अनुमति (NOC) अथवा विभागीय अनुमति न होने की स्थिति में संबंधित विभाग को प्रस्तुत सेवा से त्याग पत्र की पावती प्रति
IX. अभ्यर्थी के शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता (स्पेशल डीएलएड) संबंधी दस्तावेज।
X. आरसीआई द्वारा जारी वैध पंजीयन प्रमाण पत्र एवं CRR नंबर
XI. भूत पूर्व सैनिक की दशा मे वैध प्रमाणपत्र।
XII. बोनस प्राप्त करने की स्थिति में NCC का C प्रमाणपत्र
XIII. कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी पात्रता परीक्षा एवं चयन परीक्षा की अंकसूची
XIV. अन्य पिछडा वर्ग अभ्यर्थियों के लिए क्रीमीलेयर में नही आने संबंधी घोषणा (परिशिष्ट– 1)
XV. संलग्न शपथपत्र नोट राइज्ड (परिशिष्ट– 2)
XVI. NIOS से D.EL.ED करने की स्थिति में संलग्न शपथ पत्र नोटराइज्ड (परिशिष्ट–3)

6/ बिन्दु 5 में उल्लेखित दस्तावेजो के इस कार्यालय द्वारा परीक्षण उपरांत पात्र पाये जाने पर संबंधित अभ्यर्थी को पदस्थापना स्थल पर पदभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की जायेगी। नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर मेडिकल बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र (पुलिस वेरीफिकेशन) भी प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थियों को जिला पारस्परिक परिवर्तन के लिए दिए गए विकल्प के कारण पूर्व में जारी जिला आवंटन आदेश निष्प्रभावी माना जाएगा ।

7/ यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं इसे किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस दिए जाने के पहले या बाद में यदि अभ्यर्थी अपने कार्य से बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह माना जावेगा कि उन्होंने अनुपस्थिति की तिथि से बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है, ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को एक माह का अथवा नोटिस की अवधि में जितनी अवधि कम होगी, उतनी अवधि का वेतन तथा भत्तों का भुगतान करना होगा।

8/ परिवीक्षा अवधि, स्थाई करण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि विषय मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होंगे तथा वरिष्ठता का निर्धारण विभाग द्वारा नियुक्ति हेतु निर्धारित किये गये माप दंडों के अनुसार किया जावेगा।

9/ प्राथमिक शिक्षक विशेष शिक्षा की पदस्थापना संकुल शाला में रहेगी, परन्तु संकुल अंतर्गत जिस शाला मे दिव्यांग छात्रों की संख्या अधिक (अस्थिबाधित को छोडकर) होगी, उस शाला में अध्यापन कार्य कराना होगा तथा आवश्यकतानुसार अन्य विद्यालय जहॉ दिव्यांग अभ्यर्थी होगें उन विद्यालयों के शिक्षकों को प्रशिक्षण/ सहयोग करना होगा।

10/ आरसीआई द्वारा जारी सीआरआर नम्बर संपूर्ण सेवा के दौरान कियाशील रहना अनिवार्य है। आरसीआई प्रमाणपत्र की वैधता समाप्त होने पर इसे छ माह के भीतर नवीनीकरण कराना होगा । निर्धारित समयावधि में प्रमाण पत्र का नवीनीकरण नहीं करवाने वाले शिक्षकों की सेवा समाप्ति की कार्यवाही की जायेगी।

विशेष टीपः– यदि चरित्र /जाति/ निःशक्तता/शैक्षणिक तथा व्यावसायिक योग्यता/शपथपत्र इत्यादि दस्तावेज सत्यापन की रिपोर्ट मे गलत या असत्य पाये जाते हैं अथवा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाणपत्र भविष्य में कभी भी फर्जी अथवा असत्य पाये जाते हैं तो संबंधित की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।

जिला शिक्षा अधिकारी 31/8
जिला भिण्ड म0प्र
भिण्ड, दिनांक 31.08.2026

पृ. कमांक./ स्था/प्रा0शि0 नियो0/ 2026/ 6673
प्रतिलिपिः–

1. विशेष सहायक,माननीय मंत्री स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मध्यप्रदेश शासन भोपाल ।
2. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, वित विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
3. सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
4. महा लेखा कार, म.प्र. ग्वालियर ।
5. आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश।
6. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र ।
7. संभागायुक्त ....मध्यप्रदेश।
8. संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग ग्वालियर मध्यप्रदेश।
9. कलेक्टर जिला भिण्ड ,मध्यप्रदेश ।
10. संबंधित कोषालय अधिकारी, म.प्र ।
11. संबंधित विकास खंड शिक्षा अधिकारी भिण्ड,गोहद,अटेर,मेहगॉव,रौन जिला भिण्ड, म.प्र. की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. चयनित अभ्यर्थियों को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति आदेश में विहित शर्तों से सहमत होने की दशा में पदांकित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी (म.प्र.) को दिनांक 7 सितम्बर 2026 तक अपनी उपस्थिति देवें।

जिला शिक्षा अधिकारी 31/8
जिला भिण्ड म0प्र